Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 29-2026] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 21 जुलाई, 2026
(30 आषाढ, 1948 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग–I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग–II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग–III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	1. अधिसूचना संख्या का०आ० 35/के०अ०16/1927/धा०29/2026, दिनांक 20 जुलाई, 2026– अनुसूची में वर्णित दड़ौली (हिसार) की भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित करने बारे।	267—268
	2. अधिसूचना संख्या का०आ० 36/के०अ०16/1927/धा०30/2026, दिनांक 20 जुलाई, 2026– अनुसूची में वर्णित दड़ौली (हिसार) की भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित भूमि पर खड़े तथा उगाए गए वृक्षों को आरक्षित घोषित करने बारे।	269—270
	3. अधिसूचना संख्या का०आ० 37/के०अ०16/1927/धा०32/2026, दिनांक 20 जुलाई, 2026– अनुसूची में वर्णित दड़ौली (हिसार) की भूमि पर लागू होने वाले नियम बनाने बारे।	271—272
भाग–IV	**शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

भाग–III

हरियाणा सरकार

पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 जुलाई, 2026

संख्या का०आ० 35/के०अ०16/1927/धा०29/2026.– भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का केन्द्रीय अधिनियम 16) की धारा 29 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि को संरक्षित वन के रुप में घोषित करते हैं, जिस पर उक्त अधिनियम के अध्याय IV के उपबन्ध लागू होंगे, अर्थात्:–

अनुसूची

क्रम संख्या	स्थान का नाम	जमाबंदी वर्ष	आयत संख्या	किला नम्बर	कुल भूमि	
					कनाल	मरला
1.	दड़ौली (हिसार)	2023–24	89	1/1	5	6
				2	8	0
				3	8	0
				8	8	0
				9	8	0
				10/1/1	1	14
				12	5	14
				13	8	0
				14/1	5	17
				17	8	0
				18/1	5	0
				18/2	4	18
				23	5	17
				24	7	11
			100	3/2	1	3
				कुल	**86**	**100**

सुधीर राजपाल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

ENVIRONMENT, FOREST AND WILDLIFE DEPARTMENT

Notification

The 20th July, 2026

No. S.O. 35/C.A. 16/1927/S. 29/2026.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) read with sub-section (2) of section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Central Act 16 of 1927), the Governor of Haryana hereby declares the land described in the Schedule given below to be protected forests, to which the provisions of Chapter IV of the said Act shall be applicable, namely :-

Schedule

Sr. No.	Name of Site	Year of Jamanbandi	Rectangle No.	Kila No.	Total Land	
					Kanal	Marla
1.	Darouli (Hisar)	2023-24	89	1/1	5	6
				2	8	0
				3	8	0
				8	8	0
				9	8	0
				10/1/1	1	14
				12	5	14
				13	8	0
				14/1	5	17
				17	8	0
				18/1	5	0
				18/2	4	18
				23	5	17
				24	7	11
			100	3/2	1	3
				Total	**86**	**100**

SUDHIR RAJPAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Environment, Forest and Wildlife Department.

12715—C.S.—H.G.P., Pkl.